फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजस्व विविध जीसीएमएस नंबर 2023/172 बअनवान सुखराज बनाम तहसीलदार बाली

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
08/01/25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। अप्रार्थी पैरोकार सरकार के कार्यालय पत्रांक भू. अ./2024/2591 दिनांक 01.10.2024 से प्रकरण मे विस्तृत जांच रिपोर्ट प्राप्त होने से उपस्थित वकुलाय की बहस सुनी गई। प्रार्थी पक्ष के अधिवक्ता श्री कैलाश पारंगी ने बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी गई कि प्रार्थी सुखराज पुत्र छोगारामजी की जाति रावल है जो अनुसूचित जाति की श्रेणी में आती है। परंतू प्रार्थी द्वारा धारित की जा रही खातेदारी भूमि ग्राम धणी के खसरा नंबर 520 रकबा 0.75 हैक्टर किस्म बारानी दोयम एवं खसरा नंबर 312 रकबा 0.21 हैक्टर, खसरा नंबर 313 रकबा 0.26 हैक्टर, खसरा नंबर 304 रकबा 1.04 हैक्टर, खसरा नंबर 305 रकबा 1.11 हैक्टर किस्म बारानी दोयम कुल रकबा 3.37 हैक्टर भूमि प्रार्थी एवं प्रार्थी परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से संयुक्त सहखातेदारी की भूमि में प्रार्थी परिवार की जाति अधिकार अभिलेखो में भाट दर्ज है। जबकि प्रार्थी परिवार की सही व वास्तविक जाति रावल है जो अनुसूचित जाति में शुमार है, परंतु राजस्व रेकर्ड में त्रुटिपुर्ण जाति भाट दर्ज होने से सही जाति अनुसार रिकार्ड में संशोधन किया जाना आवश्यक है। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थी परिवार द्वारा धारित अन्य सरकारी दस्तावेज की प्रतियां पेश कर दलील दी कि इन सभी दस्तावेजो में प्रार्थी परिवार की जाति रावल है परंतु राजस्व रिकार्ड में जाति भाट का अंकन होने से शुद्ध किये जाने की दलील दी। इन दस्तावेजी साक्ष्यों में प्रार्थी द्वारा निम्न दस्तावेज पेश किये गये- 1. प्रार्थी सुखराज पुत्र छोगाराम के आधार कार्ड, फोटो प्रतियां 2. अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर की अपील सं. 178/2019 बअनवान जगदीश बनाम तहसीलदार तिंवरी में पारित आदेश की पालना में तहसीलदार तिंवरी द्वारा पटवारी हल्का बालरवा को जारी पत्र क्रमांक राजस्व/541 दिनांक 17.07.2020 की प्रति 3. तहसीलदार बाली द्वारा प्रार्थीया की पुत्री प्रमिला कुमारी के नाम से जारी जाति प्रमाण पत्र क्रमांक कैम्प/261 दिनांक 04.01.2002 की फोटोप्रति, 4. प्रार्थी सुखराज पुत्र छोगाराम जाति रावल(मेघवालों का) को उपखण्ड दण्डनायक बाली द्वारा दिनांक 25.02.1982 को जारी जाति प्रमाण पत्र की फोटो प्रति 5. प्रार्थी की पत्नि कमला देवी के नाम जारी जनआधार कार्ड की फोटोप्रति 6. प्रार्थी की पत्नि कमला देवी के नाम जारी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के पत्र की फोटोप्रति 7. प्रार्थी की पत्नि कमला देवी के नाम जारी भामाशाह कार्ड की फोटोप्रति 8. प्रार्थी के नाम जारी पेन कार्ड की फोटोप्रति 9. सुश्री गायत्री पुत्री जयदेव के नाम उपखण्ड अधिकारी मा. जंक्शन के द्वारा जारी प्रमाण पत्र की फोटो प्रति 10. गायत्री देवी व प्रार्थी के पुत्र हेमंत कुमार के विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र की फोटोप्रति 11. रावल(भाट) समाज विकास संस्थान पाली मारवाड द्वारा उपखण्ड अधिकारी बाली को प्रेषित पत्र दिनांक 25.03.2023 की प्रति 12. रावल समाज जाग्रति संस्थान शिवाजी नगर पाली के पत्रांक एसपी.1 दिनांक 02.03.2023 की प्रति	

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी * बाली, जिला-पाली (राज.) *

3

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये

13. रावल समाज विकास संस्थान मुख्यालय देवनगरी, कुडी भगतारानी रोड जोधपुर द्वारा उपखण्ड अधिकारी बाली को प्रेषित पत्र दिनांक 01.04.2023 की प्रति
14. प्रार्थी के पुत्र हेमंत कुमार के नाम से तहसीलदार बाली के कार्यालय पत्रांक 2013/47/ दिनांक 14.01.2013 को रावल जाति का जारी प्रमाण पत्र की फोटोप्रति
15. प्रार्थी के पुत्र विनोद कुमार के नाम से तहसीलदार बाली के कार्यालय पत्रांक 2013/47/ दिनांक 14.01.2013 को रावल जाति का जारी प्रमाण पत्र की फोटोप्रति
16. प्रार्थी के पिता के नाम भू-प्रबंध विभाग द्वारा ग्राम धणी स्थित भूमि खसरा नंबर 304 व 305 के संबंध में जारी पर्चा लगान सं 121 की फोटो प्रति

जिससे इन सरकारी दस्तावेजो में दर्ज प्रार्थी परिवार की सही व वास्तविक जाति रावल के अनुसार धारित खातेदारी कृषि भूमियों में भी जाति भाट के बजाय सही जाति रावल दर्ज किये जाने की दलील दी।

उपस्थित पैरोकार सरकार द्वारा बहस में वकील प्रार्थी की दलीलों का खण्डन नही किया।

पत्रावली व उपलब्ध रिकार्ड के अध्ययन एवं उभयपक्ष वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात हस्तगत प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य है कि प्रार्थी व उसके परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा संयुक्त सहखातेदारी में धारित की जा रही भूमियां ग्राम धणी के खसरा नंबर 520 रकबा 0.75 हैक्टर किस्म बारानी दोयम एवं खसरा नंबर 312 रकबा 0.21 हैक्टर, खसरा नंबर 313 रकबा 0.26 हैक्टर, खसरा नंबर 304 रकबा 1.04 हैक्टर, खसरा नंबर 305 रकबा 1.11 हैक्टर किस्म बारानी दोयम कुल रकबा 3.37 हैक्टर के अधिकार अभिलेखों, जमांबदीयों में प्रार्थी व उसके परिवार के सदस्यों की जाति भाट दर्ज है। जबकि प्रार्थी परिवार के सदस्यों को तहसीदार बाली एवं उपखण्ड अधिकारी मा. जंक्शन द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्रों में प्रार्थी परिवार के सदस्यों की जाति रावल होना वर्णित किया है तथा रावल जाति अनुसूचित जाति की सूची में राजस्थान मे क्रम सं 50 पर रावल दर्ज होने का वर्णन है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में सरकारी दस्तावेजो में दर्ज **जाति रावल** के अनुरूप ही धारित कृषि भूमियों में भी भाट के स्थान पर रावल दर्ज किये जाने की मांग की है। जिस तथ्य को अप्रार्थी तहसीलदार बाली ने अपनी जांच रिपोर्ट में स्वीकार करते हुये जाति संशोधन हेतु पत्र आदि प्रेषित किये है। इस संबंध में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 एवं इस संबंध में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रों मे वर्णित निर्देशों के अनुसार भी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्याय संगत है।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी धारा 136 स्वीकार किया जाता है। माफिक रिपोर्ट तहसीलदार बाली प्रार्थी परिवार द्वारा धारित की जा रही भूमियां ग्राम धणी के खसरा नंबर 520 रकबा 0.75 हैक्टर किस्म बारानी दोयम एवं खसरा नंबर 312 रकबा 0.21 हैक्टर, खसरा नंबर 313 रकबा 0.26 हैक्टर, खसरा नंबर 304 रकबा 1.04 हैक्टर, खसरा नंबर 305 रकबा 1.11 हैक्टर किस्म बारानी दोयम कुल रकबा 3.37 हैक्टर में दर्ज जाति भाट के स्थान पर सही व शुद्ध **जाति रावल** दुरूस्ती के जरिये दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश प्रति तहसीलदार बाली व पटवार हल्का धणी को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

भू0 अभिलेख अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर बाली
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner